स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्या–207, दिनांक: 24–08–2020

एसटीएफ, उ0प्र0 ने जनपद लखनऊ में घटतौली करने वाले इलेक्ट्रानिक तराजू (Electronic Weighing Machine) बनाने की फैक्ट्री का किया भण्डाफोड़, फैक्ट्री संचालक गिरफ्तार।

दिनॉक: 24–08–2020 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को जनपद लखनऊ में घटतौली करने वाले इलेक्ट्रानिक तराजू (Electronic Weighing Machine) बनाने की फैक्ट्री का किया भण्डाफोड़, फैक्ट्री संचालक को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1. अशफाक अली पुत्र असद अली नि0 551 एके/453 आजाद नगर, थाना–कृष्णानगर, लखनऊ।

फैक्ट्री में सील किये गये उपकरणः–

1. लगभग 172 निर्मित व अर्धनिर्मित इलेक्ट्रानिक तराजू।
2. फैक्ट्री में भारी मात्रा में इलेक्ट्रानिक तराजू बनाने का उपकरण।

एसटीएफ, उ0प्र0 ने दिनांक 22.08.2020 को जनपद लखनऊ व जनपद बाराबंकी में इलेक्ट्रानिक तराजू में चिप व रिमोट लगाकर घटतौली करने वाले गिरोह के 05 सदस्य को गिरफ्तार किया गया था। उनसे घटतौली हेतु प्रोग्राम्ड मदरबोर्ड लगी इलेक्ट्रानिक तराजू, अतिरिक्त चिप, रिमोट व अन्य उपकरण बरामद किया गया था। जिनके विरूद्ध थाना नगराम, लखनऊ व थाना लोनी कटरा, जनपद बाराबंकी पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्तों से की गयी पूछताछ एवं अभिसूचना संकलन से प्राप्त तथ्यों के सम्बन्ध में एसटीएफ टीम द्वारा भौतिक सत्यापन किया जा रहा था।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि विभिन्न जगहो पर छोटी व बड़ी ऐसी फैक्ट्रिया संचालित हैं, जिसमें घटतौली हेतु प्रोग्राम्ड मदरबोर्ड लगाकर इलेक्ट्रानिक तराजू बनाया जाता है, जिसके मदरबोर्ड को इस प्रकार से डिजाईन किया गया है कि वह एक ही सामान का वजन को उसके सही वजन से अधिक या कम डिस्प्ले पर तराजू मालिक की इच्छा अनुसार प्रदर्शित कर सकती है तथा केवल एक बटन को दबाने से अथवा रिमोट की सहायता से क्षण भर में उसके सही वजन को भी तत्काल डिस्प्ले कर सकती है। इस सम्बन्ध में श्री अमिताभ यश, पुलिस महानिरीक्षक, एसटीएफ, उ0प्र0 व श्री विशाल विक्रम सिंह, प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 लखनऊ ने ऐसी फैक्ट्रियों को चिन्हित कर कार्यवाही करने हेतु श्री अमित कुमार नागर, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ, उ0प्र0 लखनऊ के नेतृत्व में टीम गठित कर इस विषय में अभिसूचना संकलन कर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि जनपद लखनऊ के थाना कृष्णानगर क्षेत्र में एक इलेक्ट्रानिक तराजू बनाने की फैक्ट्री है, जिसमें अवैध इलेक्ट्रानिक तराजू बनाया जाता है। इस सूचना पर श्री अमित कुमार नागर, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ, लखनऊ के नेतृत्व में उ0नि0 विनोद सिंह, मु0आ0 अशोक गुप्ता, मु0आ0 राजेश मौर्या, मु0आ0 अंजनी यादव मु0आ0 रूद्र नारायण, आरक्षी अशोक राजपूत की एक टीम गठित कर अपर नगर मजिस्ट्रेट–06, लखनऊ को साथ लेकर मुखबिर के बताई हुई सूचना पर थाना कृष्णानगर क्षेत्र के लिए प्रस्थान किया गया तथा स्थानीय पुलिस को साथ लेकर मुखबिर के बताये हुए स्थान पर पहुँचकर देखा गया तो वहॉ यूनिक नाम की फैक्ट्री चल रही थी, जिसमें भारी मात्रा में निर्मित/अर्धनिर्मित इलेक्ट्रिानिक तराजू व अन्य उपकरण रखे थे। जिसके बारे में पूछा गया तो वहॉ मौजूद व्यक्ति अशफाक अली उपरोक्त ने बताया कि वह इस फैक्ट्री का संचालक है। जिसमें घटतौली करने वाला मदरबोर्ड लगाकर

अवैध इलेक्ट्रिानिक तराजू बनाये जाते है। जिस पर अशफाक अली को गिरफ्तार कर फैक्ट्री को सील कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि उसकी फैक्ट्री में घटतौली करने वाला मदरबोर्ड लगाकर इलेक्ट्रानिक तराजू बनाये जाते है, जिसमें अतिरिक्त चिप लगाकर उसे रिमोट के माध्यम से और अधिक छिपाकर संचालित कर घटतौली की जा सकती है। इस इलेक्ट्रानिक तराजू को बनाने के लिए उसके पार्ट को दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि जगहो से मंगाकर ऐसे इलेक्ट्रानिक तराजू तैयार कराकर उत्तर प्रदेश व अन्य प्रदेशों के जनपदों में घटतौली करने वाले लोगो को उनकी मांग पर बेचता हूॅ और उनको घटतौली करने हेतु तराजू को प्रयोग करने का तरीका भी बताता हूॅ। साथ ही यह भी बताया कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में घटतौली करने वाले इलेक्ट्रानिक तराजू की मांग होने पर देश के कई जगहो पर इस तरह की छोटी व बड़ी फैक्ट्रिया चल रहीं है। अभियुक्त के द्वारा दी गयी इस सूचना का भौतिक सत्यापन पूर्व से ही किया जा रहा है, जिसके उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना नगराम, लखनऊ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 136/2020 में दाखिल किया गया है, अग्रिम विविध कार्यवाही विवेचक/स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।